भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2076

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता और शुद्धता

2076. श्रीमती संध्या राय:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कई उपभोक्ताओं के पास खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता और शुद्धता की जांच हेतु आसानी से सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का खाद्य वस्तुओं की त्वरित जांच के लिए प्रत्येक जिले में सुलभ परीक्षण केंद्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी किसी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के भिंड और दतिया जिलों को शामिल करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने तथा उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है, ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन और प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है।

परीक्षण के माध्यम से खाद्य एवं खाद्य उत्पादों की सुरक्षा के लिए, एफएसएसएआई ने खाद्य नमूनों के विश्लेषण के लिए 259 राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) और अपील नमूनों के विश्लेषण के लिए 24 रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया है।

एसओएफटीईएल योजना, अर्थात् देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण जिसमें मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (एमएफटीएल) की व्यवस्था भी शामिल है, राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं को उन्नत करने, माइक्रोबायोलॉजी सुविधाएँ स्थापित करने और मोबाइल खाद्य परीक्षण वैन तैनात करने के लिए एफएसएसएआई द्वारा लागू की गई एक पहल है। इस योजना के तहत, 47 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ संरचनात्मक रूप से उन्नत किया गया है और रसायन, हैवी मेटल तथा जैविक प्रदूषकों का पता लगाने के लिए 34 विशेष माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। एमएफटीएल या "व्हील्स फूड सेफ्टी ऑन" (एफएसडब्ल्यू) खाद्य परीक्षण, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से गांवों, कस्बों और दूरस्थ क्षेत्रों में सबसे व्यापक पहुंच प्रदान करता है। वर्तमान में, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 305 एफएसडब्ल्यू तैनात हैं।

"मैजिक बॉक्स" एक कॉम्पैक्ट और उपयोगकर्ता-अनुकूल किट है, जिसमें सात विभिन्न खाद्य पदार्थों में सामान्य खाद्य मिलावट का पता लगाने के लिए सरल, त्वरित परीक्षण विधियां शामिल हैं। इसका उद्देश्य दूध, मसाले, तेल और अनाज जैसी रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं में मिलावट की पहचान करना है।

डिटैक्ट एडल्टरेशन विद रैपिड टेस्ट (डीएआरटी) पुस्तक में 44 परीक्षण हैं जिन्हें दूध एवं दुग्ध उत्पाद, तेल एवं वसा, चीनी एवं मिठाई, खाद्य अनाज एवं उनके उत्पाद, मसाले एवं चटनियाँ आदि खाद्य पदार्थों के लिए पानी और आयोडीन टिंचर जैसे सरल मिश्रणों की मदद से आसानी से घर पर ही किया जा सकता है। इन परीक्षणों में खाद्य उत्पादों की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए संवेदी मूल्यांकन परीक्षण भी शामिल हैं। डीएआरटी पुस्तक सचित्र प्रस्तुति के माध्यम से शुद्ध और मिलावटी खाद्य उत्पादों के बीच के अंतर को दर्शाती है।

इसके अलावा, रैपिड एनालिटिकल फूड टेस्टिंग किट (आरएपीआईडी) उन्नत, उपयोग में सुगम, सुवाह्य और हस्त उपयोग का उपकरण हैं और परीक्षण करने के लिए किसी भी जटिल उपकरण या पारंपरिक अभिकर की आवश्यकता नहीं होती। अब तक 88 आरएएफटी किटों को अनुमोदित किया जा चुका है। ये किट क्षेत्रीय स्तर पर खाद्य उत्पादों के जांच समय को कम करने में मदद करती हैं और इस प्रकार निगरानी तथा मॉनिटरिंग गतिविधियों को तीव्र करती हैं।

इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश राज्य में दस (10) एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं, जिनमें से एक (01) राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है और नौ (09) निजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं। खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और संचालन मुख्यतः संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के दायरे में आता है। एसओएफटीईएल योजना के अतिरिक्त, एफएसएसएआई संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। राज्य के पास भी 15 एमएफटीएल हैं।
